न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं

पीठासीन अधिकारी :– मनीलाल मीणा

नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी सरकार जरिये पटवारी हल्का छापोली,

बनाम

श्री रणवीर सिंह बलवीर सिंह आनंद सिंह पुत्रगण सज्जन सिंह जाति राजपूत निवासी छापोली

तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं.

अंतर्गत धारा 91 राज0 भू. राजस्व अधिनियम, 1956

–:निर्णय:–

प्रकरण संख्या:– 03 / 21 दिनांक 16.02.2021

पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुई। अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि पटवारी हल्का छापोली ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश कर सूचित किया कि संवत 2077 में मौजा ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 3370 कुल रकबा 0.09 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 405 वर्गफिट सरकारी भूमि पर श्री रणवीर सिंह बलवीर सिंह आनंद सिंह पुत्रगण सज्जन सिह जाति राजपूत निवासी छापोली ने अनाधिकृत रुप से पक्का निर्माण कर अतिक्रमण किया हैं। प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने उपस्थित होकर अपना जवाब पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में उल्लेखित किया कि उसका उक्त आराजी पर कदीमी कब्जा काश्त है, कोई नया अतिकमण नहीं किया गया है। अप्रार्थी ने उक्त आराजी का अपने हक में नियमन करने का निवेदन किया है।

ना. तहसीलदार
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)

पृ.सं. कृ. पृ. उ.

अप्रार्थी उक्त सरकारी भूमि वाके ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 3370 कुल रकबा 0.09 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 405 वर्गफिट भूमि पर अतिकमण करने के सम्बंध में किसी प्रकार का कदीमी साक्ष्य/सबूत पेश नहीं किया है।

पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन अप्रार्थी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रुप अतिक्रमण करने के फलस्वरुप अतिक्रमी घोषित किया जाता हैं तथा उपरोक्त मुतनाजा अराजी से भौतिक रुप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है।

आदेश

ग्राम छापोली पटवार हल्का छापोली के हाल भूमि खसरा नम्बर 3370 कुल रकबा 0.09 है0 किस्म गै0 मु0 चारागाह में से 405 वर्गफिट सरकारी भूमि पर से श्री रणवीर सिंह बलवीर सिंह आनंद सिंह पुत्रगण सज्जन सिह जाति राजपूत निवासी छापोली को बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं, साथ ही इस अनाधिकृत अतिक्रमण के दण्ड स्वरूप वार्षिक लगान 1.00 रुपये का 50 गुणा यानि कुल 50/– रुपये (अक्षरे रू पचास मात्र) बतौर जुर्माना अप्रार्थी पर आरोपित किया जाता है। निर्णय अनुसार मांग कायमी हेतु तहसील राजस्व लेखकार एवं भू अभिलेख निरीक्षक को लिखा जाये। भू अभिलेख निरीक्षक को आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी को सरकारी भूमि से बेदखल कर रिपोर्ट बेदखली पेश करें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.02.2021 को खुले इजलास सुनाया गया।

2020-21 पृ0 148
50

नायब तहसीलदार
उदयपुरवाटी (झुन्झुनूं)
पृ. सं. 2

(अमीलाल मीणा)
नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी